

मध्य प्रदेश वधानसभा नरिवाचन की घोषणा

चर्चा में क्यों?

9 अक्टूबर, 2023 को मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश में नरिवाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा की।

प्रमुख बटु

- भारत नरिवाचन आयोग द्वारा जारी नरिवाचन के कार्यक्रम अनुसार 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दसिंबर को होगी।
- नरिवाचन की अधसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा कथि जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशयों की अंतिम सूची जारी होगी।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता फोटो नरिवाचक नामावली में नामांकित हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थरुड जेंडर मतदाता एक हजार 373 है।
- प्रदेश में 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हजार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हजार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर शौचालय, रैंप, वहील चेयर, पानी, हेलपडेस्क, बजिली आदिकी सुवधि उपलब्ध कराई गई है।
- वरषिठ नागरकि एवं दवियांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाताओं के लथि मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुवधि (पोस्टल बैलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा।
- भारत नरिवाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी-वजिलि ऐप में 2 मनिट का वीडियो और फोटो डाउनलोड कथि जा सकेंगे। कोई भी नागरकि आयोग को ऐप के माध्यम से शकियात प्रेषति कर सकेगा।



